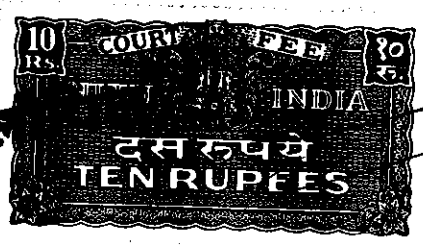

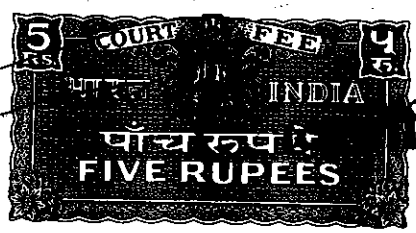

विद [COURT FEE 10 Rs. INDIA दस रुपये TEN RUPEES] [COURT FEE 5 Rs. INDIA पाँच रुपए FIVE RUPEES] पत्र

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर
पुनरीक्षण प्र.क्रं. /2004

R 466- PBR/2004

श्री मुकेश भार्गव ... द्वारा आज दि. 6/3/04 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

- 6 MAR 2004

रूनिया पत्नी अतर सिंह लोधी
निवासी टपटकी तहसील करैरा
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

... आवेदिका

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ... अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्र.क्रं. 1/1998-99 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.10.03 के विरुद्ध म.प्र.भू. राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

WS
मुकेश भार्गव
6-3-04 एडवोकेट
ग्वालियर

मान्यवर,

आवेदिका की निम्नांकित निवेदन है :-

1. यह कि, टपटकी में स्थित भूमि सर्वे क्रं. 417 रकवा 1.67 हेक्टर पर आवेदिका का 2.10.84 से अनेक वर्षों पूर्व अर्थात 20-25 वर्षों पूर्व से निरंतर काश्त करते हुए कब्जा चला आ रहा था। दिनांक 13.12.91 के आदेश द्वारा नायब तहसीलदार करैरा द्वारा म.प्र. कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के अधीन भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करने का आदेश पारित किया था।

2. यह कि, इस आदेश के विरुद्ध एक अन्य व्यक्ति गोमा विधवा छोटेलाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गयी थी। अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा अपील प्र.क्रं. 88/92-93 में पारित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 466–पीबीआर/2004 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–11–16	आवेदिका अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री बी0एन0 त्यागी उपस्थित। 2/ आवेदक अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के प्र0 क्र0 1/1998–99/निग़रानी में पारित आदेश दिनांक 20.10.2003 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तगर्त यह निगरानी प्रस्तुत की है। 3/ आवेदक अभिभाषक को ग्रहयता के बिन्दु पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक ने वही तर्क दोहराये है जो निगरानी मेंमो में उल्लेखित है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 4/ अनावेदक शासन के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के आदेश का अवलोकन किया । अवलोकन करने पर यह पाया कि प्रकरण में गोमाबाई की ओर से एक अपील प्र0क्र0 88/92–93 अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वर्णित व्यवस्थापन के विरूद्ध की गई थी जो	

दिनांक 28.10.93 को निरस्त की गई। इसलिये आवेदिका के विरूद्ध किया गया व्यवस्थापन का आदेश दिनांक 13.12.1991 स्वमेव निगरानी में लिया जाना विधिसंगत नहीं है। आवेदिका के अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वर्णित अपील इस आधार पर खारिज की गई है कि मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये दखलरहित भूमि का भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना विशेष उपंबंध अधिनियम 1984 में अपील का प्रावधान नहीं है और इसलिये अपील ग्राह्य योग्य नहीं थी। वर्णित अपीलीय आदेश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह उल्लेखित किया गया कि पक्षकार चाहे तो निगरानी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और यदि अधीनस्थ न्यायालय स्वयं ही यह पाता है कि व्यवस्थापन गलत हुआ है तो सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रकरण सक्षम न्यायालय को भेजा जाना चाहिये। प्रकरण में आवेदिका के पक्ष में किया गया व्यवस्थापन आदेश दिनांक 13.12.1991 में पाई अनियमिततायें परिलक्षित होने पर नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.06.92 को व्यवस्थापन आदेश के पुर्नविलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से चाही गई जो दिनांक 30.06.92 को दी गई, किन्तु इसी दौरान अपील प्रस्तुत होने के कारण प्रकरण अनुविभगीय अधिकारी के समक्ष अपील में चला गया और अपील लौटने के बाद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के तारतम्यें में स्वमेव निगरानी हेतु प्रकरण दिनांक 22.02.94 को कलेक्टर को भेजा गया । कलेक्टर द्वारा

प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया गया। क्योंकि विशेष उपबंध अधिनियम के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकारों को प्रदान किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका कब्जा 02.10.1984 से पूर्व का हो तथा वह अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत भूमिहीन हो। अधिनियम की धारा–7 के अंतर्गत भूमिहीन से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति है जो चाहे चाहे अकेले या अपने कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से, दो हैक्टर से कम भूमि धारण करता हो।

6/ प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन करने पर पाया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 86–87 में कुंदन पत्नी मुलायम गडरिया को पेड़ लगाने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 89–90 में रामरतन का अतिक्रमण था तथा वर्ष 91–92 में आवेदिका का कब्जा लिखा हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका कब्जा निर्धारित दिनांक 02.10.1984 के पूर्व नहीं था। आवेदिका की ओर से कोई ठोस आधार पर प्रमाण न तो इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय में ही प्रस्तुत किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि उसका कंब्जा दिनांक 02.10.1984 के पूर्व से निरंतर कायम रहा है। ऐसे में यह सिद्ध होता है कि आवेदिका भूमिहीन व्यक्ति नहीं है। भूमि का व्यवस्थापन का उद्देश्य जरूरतमंद भूमिहीन व्यक्तियों को जीवनयापन के लिये भूमि देना है, जिन व्यक्तियों के पास पूर्व से ही भूमि है उनको उपकृत करना नहीं

है।

7/ उपरोक्त प्रावधानों अथवा अधिनियम के परिपालन में आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य न होने से खारिज की जाती है तथा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.03 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एम0अली)
सदस्य